

FORM NO.111

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

जमाना देवी वगैरे बनाम रतनलाल वगैरे

मुकदमा नम्बर-27/2022

किरम मुकदमा - इजराय

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हरताक्षर जज

नम्बर व तारीख
जबकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुई

03.06.2022

वकील डिकीदार श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एडवो ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 03.07.2022 को पेश हो।

दिनीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

30.06.2025

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिकीदार उपस्थित। प्रकरण में सम्बन्धित पटवारी हल्का हांसपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण में ऑनलाईन मिलान किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 944 दिनांक 14.09.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारिज की जाकर फंसल किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमाधोपुर
संख्या 944
दिनांक 14/09/23
द्वारा पालना

प-ए-ए-सी-यू-2

